

F1(15)MCDBY/EST/CIRCULAR-00652/

दिनांक:- 07-06-2024

—: परिपत्र :-

विषय:- कार्यालय, परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर के नाम परिवर्तन कि सूचना।

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.5(3)वित्त/बीमा/2022लूज जयपुर, दिनांक 05.06.2024 के द्वारा कार्यालय परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन, जयपुर का नाम परिवर्तित कर **कार्यालय परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर** किया गया है। अतः भविष्य में समस्त पत्राचार परिवर्तित कार्यालय के नाम से ही किये जावे।

(सुरेश कुमार मीणा)
परियोजना निदेशक (MADBY)

F1(15)MCDBY/EST/CIRCULAR-00652/ 662 - 671

दिनांक:- 07-06-2024

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय।
4. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
5. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक मुख्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग मुख्यालय/संमस्त संभाग कार्यालय/समस्त जिला कार्यालय।
6. परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना।
7. संयुक्त निदेशक (संस्थापन/मुख्यालय), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग मुख्यालय जयपुर।
8. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने कर श्रम करावे।
10. मैसर्स ई&वाई को भेजकर लेख है कि योजना पोर्टल पर आवश्यकतानुसार अद्यतन करवाने का श्रम करावे।
11. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7823781



Signature valid

Digitally signed by Surish Kumar Meena
Designation : Project Director
Date: 2024.06.06 18:44:37 IST
Reason: Approved